संख्याः—325 / एक—10—2021—33(2) / 2021

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ।

राजस्व अनुभाग—10 लखनऊः दिनांकः 25/02/2021

विषयः—दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत सहायता एवं अन्य मदों में किये गये व्यय के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत सहायता एवं इस सम्बन्ध में व्यय किये गये विभिन्न मदों, यथा—वेण्डर का वेतन, स्टेशनरी, टेलीफोन, विज्ञापन बिल आदि के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के मद सं—11 से किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020—21 में **रू0 10,91,000 / —(रूपये दस लाख इक्यानबे हजार मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

कमांक	जनपद का नाम, संख्या व दिनांक	आपदा का प्रकार / मद	स्वीकृत धनराशि
1	बलरामपुर, 1571, दि0 18. 11. 2020	वेण्डर का मानदेय व अन्य बिलों के भुगतान हेतु	05.00
2	सिद्धार्थनगर, 2124, दि0 22. 01.2021	विज्ञापन के बिलों के भुगतान हेतु	2.01
3	सिद्धार्थनगर, 2160(1), दि0 10.01.2021	वर्ष 2017 में आयी बाढ़ हेतु एनडीआरएफ की टीम पर हुये व्यय के भुगतान हेतु	1.69
4	मऊ, 1213, दि0 01. 01.2021	कोविड—19 हेतु नामित नोडल अधिकारियों के वाहन पर हुये व्यय व तहसीलों में रजिस्टर की खरीद के भुगतान हेतु	2.21
		योग—	**10.91**
		(रूपये दस लाख इक्यानबे हजार मात्र)	

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को

राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04. 2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–11–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by संजय गोयल
Date:Mon Mar 01 12:32:10 IST 2021
Reason: Approved

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या–325(1)/एक–10–2021–33(2)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।

4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।